संख्या–391 /VI-I/2005

प्रेषक,

अमिताभ श्रीवास्तव,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय
देहरादून।

संस्कृति अनुभाग

देहरादून : दिनांक 25 अक्टूबर, 2005

विषय :– स्व0 पं0 राम सुमेर शुक्ल जी की प्रतिमा निर्माण एवं चौक निर्माण हेतु रूद्रपुर में तीनपानी किच्छा बाईपास पर धनावंटन के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जिलाधिकारी उधमसिंहनगर के पत्र संख्या–2087/15–सहा0/2003 दिनांक– 18 नवम्बर 2003 एवं पत्र संख्या–623/15–ए0जे0ए0/2005 दिनांक 18 जून, 2005 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त मूर्ति के चौक निर्माण एवं पैडेस्टल हेतु टी0ए0सी0 द्वारा अनुमोदित रू0 6.63 (रूपये छ:लाख तरेसठ हजार मात्र) लाख तथा मूर्ति निर्माण हेतु रूपये 3.70 लाख (रूपये तीन लाख सत्तर हजार मात्र) इस प्रकार कुल धनराशि रूपये 10.33 (रूपये दस लाख तैतीस हजार मात्र) श्री राज्यपाल महोदय द्वारा निम्नलिखित शर्तो के आधार पर व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

1. आंगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षक अभियन्ता द्वारा स्वीकृति/अनुमोदित दरों को जो शिडयूल आफ रेट में स्वीकृति नहीं है अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता को अनुमोदन आवश्यक होगा।

2. कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुससार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारंभ न किया जाय।

3. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

4. एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

5. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि से मध्य नजर रखते हुए लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

6. कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली–भांति निरीक्षण उच्च अधिकारियों एवं भुगर्ववेत्ता के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जायें।

7. आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाए, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाए।

7.ए निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाय।

2. उक्त स्वीकृत धनराशि इस प्रतिबंध के साथ स्वीकृत की जाती है कि मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, जिसे व्यय करने के लिए बजट में मितव्ययता नितांत आवश्यक है। व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बंध मे समय–समय पर जारी किये शासनादेश में निहित निर्देश का कड़ाई से अनुपालन किया जाय।

3. उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2005–06 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–11 के लेखाशीर्षक–2205 कला एवं संस्कृति–00–102–कला एवं संस्कृति का सम्बर्द्धन आयोजनागत–10–महान विभूतियों की मूर्ति स्थापना–1091 जिला योजना–25– लघु निर्माण कार्य आयोजनागत पक्ष के नामें डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 आदेश सं0–48/वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग–3/2005, दिनांक– 22 अक्टूबर 2005, में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

(अमिताभ श्रीवास्तव)
अपर सचिव

पृष्ठांकन संख्या– /VI-I/ 2005, तददिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, सहारनपुर रोड़,, देहरादून।
2. जिलाधिकारी, जनपद उधमसिंहनगर।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी,जनपद– देहरादून।
4. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तरांचल शासन।
5. वित्त व्यय नियत्रंण अनुभाग–3, उत्तरांचल शासन।
6. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग, उधमसिंहनगर।
7. बजट राजकोषीय नियोजन व संसाधन निदेशालय, सचिवालय, देहरादून।
8. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तरांचल देहरादून।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(अमिताभ श्रीवास्तव)
अपर सचिव

(4)

2410050019